न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 271/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/315

प्रार्थीगण :–

1. भैरूसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बोरूंदा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. धर्मवीरसिंह राठौड़ पुत्र हनुमानसिंह राठौड़
2. राजवर्धनसिंह राठौड़ पुत्र विकमसिंह राठौड़ जातियान राजपूत निवासी श्री राज श्री माईन्स एण्ड मिनरल्स ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर राज.।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित अधिवक्ता — दर्ज दिनांक :–24.7.2025

श्री निर्मल कटारिया प्रार्थी की ओर से
श्री ऋषि टाक अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 16/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि कि ग्राम बोरून्द। पटवार क्षेत्र बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीशुदा कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 3501 क्षेत्रफल 0.8050 हेक्टेयर भूमि किस्म मंगरा के रूप में स्थित है जो सर्वे आंधार सम्वत् 2081 के खाता संख्या नया 1326 व पूराना 1341 पर दर्ज इन्द्राज है। पूर्व में उक्त भूमि खसरा नबंर 2074 रकबा 64 बीघा 04 बिस्वा शेरसिंह वल्द सबलसिंह कौम राजपूत के खातेदारी की भूमियाँ रही है तत्पश्चात् उक्त भूमि उगमसिंह खोले शेरसिंह कौम राजपूत के नाम हस्तातंरित की गई तथा उक्त भूमि में से 30 बीघा भूमि जरिये बक्शीश गोरधनसिंह के नाम हस्तातंरित हो गई तथा उक्त भूमि का नया खसरा 2074/1 गोरधनसिंह पुत्र गोपुसिंह के नाम दर्ज किया गया। गोरधनसिंहजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

गोरधनसिंह जी के विधिक वारिश रामसिंह, दुर्गासिंह, उम्मेदसिंह, गणपतसिंह पिसरान गोरधनसिंह के नाम हस्तातंरित हुई तथा गोरधनसिंह जी के विधिक वारिशान के मध्य बंटवाडा हो जानें से अब उक्त भूमि खसरा नबंर 3501 प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज है। उक्त बंटवाडा हो जाने के बाद मूल खसरा नबंर 2074 व 2074/1 में आने जाने हेतु रास्ता छोडा गया था जो रास्ता खसरा नबंर 3466 के पश्चिमी माठ व खसरा नबंर 3501 के दक्षिण की ओर वर्तमान में चल रहा है जिसे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क एबीसीडी के मध्य दर्शाया गया है जो कि वादग्रस्त रास्ता है। मूल खसरा नबंर 2074 उगमसिंह व खसरा नबंर 2074/1 प्रार्थी के दादा गोरधनसिंह के नाम हस्तातंरित हुआ था तब उक्त भूमि में आने जाने हेतु खसरा नबंर 3466 नया, पूराना मूल खसरा नबंर 2074 के पश्चिमी तरफ छोडा गया था जो रास्ते के रूप में प्रार्थी अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वर्तमान में मूल खसरा नबंर 2074 पूराना व नया खसरा नबंर 3466 के पश्चिमी तरफ उक्त रास्ता विद्यमान रहा है जो मौके पर चलायमान है लेकिन वर्तमान सर्वे रिसर्वे सम्वत् 2081 में उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी संख्या एक व दों की भूमि खसरा नबंर 3466 में सम्मिलित कर कर दिया गया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थी के खसरा नबंर 3501 के दक्षिण तरफ व अप्रार्थी संख्या एक व दों के खसरा नबंर 3466 के पश्चिमी तरफ लाल स्याही से अंकित संलग्न नजरी नक्शें में मार्क एबीसीडी के मध्य स्थित भूमि रास्ते के लिए छोडी गई उपयोग उपभोग की भूमि रही है जिसे राजस्व रेकर्ड में अलग से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में रास्ता हेतु कोई विवाद उत्पन्न न हो। प्रार्थी के पूर्वज भी वादग्रस्त रास्ता से होते हुए खेत खसरा नबंर 3501 तक आते जाते रहे है तथा अपने कृषि उपकरण मवेशीयान इत्यादि को लाते ले जाते रहे है जिसको प्रार्थी मौके पर, चलित रास्ते अनुसार व नजरी नक्शें में संलग्न नक्शे अनुसार मार्क एबीसीडी के मध्य राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है इस पर उक्त प्रार्थनापत्र वास्ते तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड शहर में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नबंर 3466 की तरमीम दुरूस्तं की जाकर वादग्रस्त रास्ता मार्क एबीसीडी खसरा नबंर 3466 में से कम किया जाकर वादग्रस्त रास्ता राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 3501 तक संलग्न नजरी नक्शें अनुसार मार्क एबीसीडी स्थान पर तरमीम शुद्ध किये जाने व उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड के नक्शा में तरमीम दुरूस्त कियें जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता ऋषि टाक ने अण्डर टेकिंग ली परन्तु बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिस पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 3501 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 3466 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार ए.बी.सी.डी अनुसार रास्ता वर्तमान में चल रहा है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते की तरमीम नहीं है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रार्थी के पक्ष में फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन तथा उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बोयन्दा के खसरा संख्या 3466 तरमीम दुरूस्त की जाकर मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में खाता दुरूस्ती एवं नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही करे। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट 1116/12.03.2026 को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 16/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर